

# Rajasthali Law Institute

## Prelims test series

### IPC,Crpc,Evidence,Negotiable Instruments,Probation of the offenders Act

1)When did the Indian Penal Code received the Governor General's assent?/भारतीय दंड संहिता को गवर्नर जनरल की सहमति कब मिली?

- A. October 3, 1850/ 3 अक्टूबर, 1850
- B. October 5, 1852/5 अक्टूबर, 1852
- C. October 6, 1860 / 6 अक्टूबर, 1860
- D. October 7, 1865/7 अक्टूबर, 1865

2) After the submission of the draft of the Indian Penal Code in 1837, who reviewed the draft Code?/1837 में भारतीय दंड संहिता का मसौदा प्रस्तुत करने के बाद मसौदा संहिता की समीक्षा किसने की?

- A. Sir Barnes Peacock/श्री बार्न्स पीकाॅक
- B. SirRajgopalachari/श्री राजगोपालाचारी
- C. Sir. J. W. Colvile/ सर. जे. डब्ल्यू. कोलविले
- D. Both (A) and (C)/दोनों (ए) और (सी)

3) Mens rea involves:/ मेन्स री में शामिल हैं:

- A. crimes of basic intent/मूल इरादे के अपराध
- B. crimes of speculative intent/सट्टा इरादे के अपराध
- C. crimes of specific intent/ विशिष्ट इरादे के अपराध
- D. Both (A) and (C)/दोनों (ए) और (सी)

4) All except one is a false statement about legal mens rea:/एक को छोड़कर सभी कानूनी अपराधिक मनःस्थिति के बारे में गलत बयान हैं:

- A. it refers to the mental element necessary for the particular crime/इसका तात्पर्य किसी विशेष अपराध के लिए आवश्यक मानसिक तत्व से है
- B. the mental element may be either the intention to do the immediate act or bring about the consequences/मानसिक तत्व या तो तत्काल कार्य करने का इरादा हो सकता है या परिणाम लाने का हो सकता है
- C. intention or recklessness as to the elements constituting the actus reus/ एक्टस रीस का गठन करने वाले तत्वों के संबंध में इरादा या लापरवाही
- D. intention can always be satisfactorily defined/ इरादे को हमेशा संतोषजनक ढंग से परिभाषित किया जा सकता है

5) To which of the following, the law of presumption applies?/ निम्नलिखित में से किस पर अनुमान का नियम लागू होता है?

- A. volenti non-fit injuria/वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
- B. mens rea/मेन्स री
- C. de minimis non curat lex/डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स
- D. none of them/इनमें से कोई नहीं

**6) What is the position of the men's rea in its purely technical sense for the offenses under the Indian Penal Code?/ भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए विशुद्ध रूप से तकनीकी अर्थ में पुरुष कारण की स्थिति क्या है?**

- A. it holds the same position as it does under the English Criminal Law/ इसकी वही स्थिति है जो अंग्रेजी आपराधिक कानून के तहत है
- B. it has no application/ इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है
- C. it has an indirect application/इसका अप्रत्यक्ष अनुप्रयोग है
- D. both (B) and (C)/दोनों (बी) और (सी)।

**7) Which of the following is a type of legal fault that necessarily does not involve a mental state?/ निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कानूनी दोष है जिसमें आवश्यक रूप से मानसिक स्थिति शामिल नहीं है?**

- A. Negligence/ लापरवाही
- B. Intention/इरादा
- C. Both (A) and (B)/दोनों (ए) और (बी)
- D. None of them/इनमें से कोई नहीं

**8) Which of the following introduced Section 10-C of the IPC?/ निम्नलिखित में से किसने आईपीसी की धारा 10-सी लागू की?**

- A. Amendment Act 10 of 1972/1972 का संशोधन अधिनियम 10
- B. Amendment Act 30 of 1974/1974 का संशोधन अधिनियम 30
- C. Amendment Act' 40 of 1976/ 1976 का संशोधन अधिनियम 40
- D. Amendment Act 42 of 1980/1980 का संशोधन अधिनियम 42

**9) Presumption of culpable mental state is a part of:/दोषी मानसिक स्थिति का अनुमान इसका एक हिस्सा है:**

- A. Section 7-C of the IPC/आईपीसी की धारा 7-सी
- B. Section 8-C of the IPC/आईपीसी की धारा 8-सी
- C. Section 9-C of the IPC/आईपीसी की धारा 9-सी
- D. Section 10-C of the IPC/आईपीसी की धारा 10-सी

**10) Section 10-C was used in which of the following cases?/ निम्नलिखित में से किस मामले में धारा 10-सी का प्रयोग किया गया था?**

- A. Devaki v. State (Kerala 2000)/देवकी वि. राज्य (केरल 2000)
- B. Devamani v. State (Madras 1983)/देवमणि बनाम. राज्य (मद्रास 1983)
- C. Devraj v. State of Punjab (1992)/देवराज बनाम. पंजाब राज्य (1992)
- D. Devi Lal v. State (Delhi administration 1986)/देवीलाल बनाम. राज्य (दिल्ली प्रशासन 1986)

**11) According to section 54 of IPC the commutation of the sentence of death by?66. आईपीसी की धारा 54 के अनुसार मृत्यु की सज़ा को कम किया जा सकता है?**

- A. With the Consent of the Offender / A. अपराधी की सहमति से
- B. without the Consent of the Offender / बी. अपराधी की सहमति के बिना
- C. With the Consent of the state government / सी. राज्य सरकार की सहमति से
- D. With the Consent of the Central government / D. केंद्र सरकार की सहमति से

**12) The definition of appropriate government is given under which section?67. उपयुक्त सरकार की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है?**

- A. Section 52A/ए. धारा 52ए
- B. Section 53A/ बी. धारा 53ए
- C. Section 55A/सी. धारा 55ए
- D. Section 65A/डी. धारा 65ए

**13) Solitary Confinement is given under which section of IPC?68. आईपीसी की किस धारा के तहत एकांत कारावास दिया जाता है?**

- A. Section / 72ए. धारा 72
- B. Section 73/बी. धारा 73
- C. Section 74/सी. धारा 74
- D. Section 75/डी. धारा 75

**14) "Enhanced Punishment for certain offences under Chapter 12 or Chapter 17 after previous Conviction" given under which section?69. "पिछली सजा के बाद अध्याय 12 या अध्याय 17 के तहत कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा" किस धारा के तहत दी गई है?**

- A. Section 73/ए. धारा 73
- B. Section 75/बी. धारा 75
- C. Section 55/सी. धारा 55
- D. Section 65/डी. धारा 65

**15) "Man", "Women" defined under which section of IPC?70. आईपीसी की किस धारा के तहत "पुरुष", "महिला" को परिभाषित किया गया है?**

- A. Section 08 / ए. धारा 08
- B. Section 09/बी. धारा 09
- C. Section 10/सी. धारा 10
- D. Section 11/डी. धारा 11

**16) In a First Information Report, if one offence is cognizable and the other is non-cognizable, then the entire case will be considered?/किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अगर एक अपराध संज्ञेय है तथा दूसरा असंज्ञेय है, तो सारे मामले**

- (a) Cognizable/ संज्ञेय
- (b) non cognizable/असंज्ञेय
- (c) It will be seen whether it is a warrant case/यह देखा जाएगा कि क्या वह वारंट मामला है
- (d) It will be seen whether it is a summons case/ यह देखा जाएगा कि क्या वह समन मामला है

**17) In which section of the Code of Criminal Procedure there is a provision that a child below 15 years of age cannot be called to the police station?/दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता?**

- (a) Section 160 (1)/धारा 160 (1)
- (b) Section 161 (2)/धारा 161 (2)
- (c) Section 160 (2)/धारा 160 (2)
- (d) Section 163/धारा 163

**18) Under Section 161 of the criminal procedure Code, refusing to answer the questions asked to a witness will be an offence under which of the following?/दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत साक्षी को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से मना करना, निम्न में से किसके अंतर्गत अपराध होगा?**

- (a) Section 176 IPC/धारा 176 भा.दं.सं.
- (c) Section 187 IPC/ धारा 187 भा.दं.सं.
- (b) Section 179 IPC/ धारा 179 भा.दं.सं.
- (d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

**19) Under Section 160 of the Code of Criminal Procedure 1973, a person can be called as a witness by-/दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है-**

- (a) By any police officer/किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा
- (b) By the police station officer/थानाधिकारी द्वारा
- (c) By the police officer who is investigating the case/उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा है
- (d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

**20) Which of the following statements is true?/निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?**

(a) A police officer has the power to cause witnesses under fifteen years of age to appear before him./एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष पंद्रह साल से कम उम्र के गवाहों को उपस्थित करने की शक्ति है।

(b) A police officer has the power to produce a female witness before himself./एक पुलिस अधिकारी को एक महिला गवाह को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है।

(c) A police officer has the power to produce before him witnesses above 65 years of age./एक पुलिस अधिकारी को 65 साल से अधिक आयु के गवाहों को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है।

(d) A police officer does not have the power to produce mentally handicapped persons before him./एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रस्तुत करने की शक्ति नहीं है।

**21) Which section of the Code of Criminal Procedure provides that any statement made by a person to a police officer during investigation, if recorded, shall not be signed by the person making the statement?/दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन-सी धारा यह उपबन्ध करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा?**

(a) Section 164/धारा 164

(b) Section 163/धारा 163

(c) Section 162/धारा 162

(d) Section 161/धारा 161

**22) Under section 159 of the Code of Criminal Procedure, the Magistrate has the power?/दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के तहत मजिस्ट्रेट को शक्ति है ?**

(a) may depute any Magistrate subordinate to him to hold the preliminary inquiry/प्रारंभिक जांच धारण करने के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट के तैनात कर सकता है जो उसके अधीनस्थ हो

(b) Give instructions for investigation by the police/पुलिस द्वारा अन्वेषण के लिए निर्देश दे

(c) Either (a) or (b)/या तो (a) या (b)

(d) Only (b) and not (a)/केवल (b) और (a) नहीं

**23) Under Section 160 of the Code of Criminal Procedure 1973, a person can be called as a witness by ?/दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है ?**

(a) by any police officer/किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा

(b) By the police station officer/थानाधिकारी द्वारा

(c) By the police officer who is investigating the case/उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा है

(d) None of the above/उपरोक्त में से कोई नहीं

**24) A Magistrate empowered under Section 190 of the Code of Criminal Procedure can order investigation by the police into a cognizable offence./दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत सशक्त एक मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा एक संज्ञेय अपराध में अन्वेषण का आदेश दे सकता है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित है?**

- (a) Section 154 (3)/धारा 154 (3)
- (b) Section 155 (3)/धारा 155 (3)
- (c) Section 156 (3)/धारा 156 (3)
- (d) Section 157 (4)/धारा 157 (4)

**25)Under which provision of the Code of Criminal Procedure, the officer in charge of the police station, on receiving the first information report of the crime, will send a copy of it to the concerned magistrate?/दण्ड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा?**

- (a) Section 154 CrPC Under/ धारा 154 दं.प्र.सं. के अंतर्गत
- (b) Section 159 Cr.P.No. Under/धारा 159 दं.प्र.सं. के अंतर्गत
- (c) Section 156 CrPC Under/धारा 156 दं.प्र.सं. के अंतर्गत
- (d) Section 157 CrPC Under/धारा 157 दं.प्र.सं. के अंतर्गत

**26)In a summons case, the magistrate can stop the proceedings at any stage before the judgment is pronounced. In which section of the Code of Criminal Procedure, 1973, its provision has been made/समन मामले में मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी प्रक्रम पर कार्यवाही को रोक सकता है। इसका प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किस धारा में किया गया है?(M.P.A.D.P.O. 2015 Raj. A.P.O. 2011)**

- (a) In section 258/(a) धारा 258 में
- (b) In section 257/(b) धारा 257 में
- (c) In section 259 /(c) धारा 259 में
- (d) In section 209/(d) धारा 209 में

**27) Can a person discharged under Section 258 of the Code of Criminal Procedure be tried again for the same offence?/क्या धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन उन्मोचित किये उ गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किया जा सकता है-(M.P. (CJ) 2016)**

- (a) No, it cannot be re tried/(a) नहीं, उसका पुनः विचारण नहीं किया जा सकता
- (b) Yes, with the permission of the court by which he was discharged/(b) हां, उस न्यायालय की अनुमति से जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था
- (c) No, because the principle of double jeopardy will apply/(c) नहीं, क्योंकि दोहरे दण्ड का सिद्धांत लागू होगा

(d) Yes, with the permission of the state government/(d) हां, राज्य सरकार की अनुमति से

**28) In a summons case, when the accused appears or is brought before the Magistrate, it shall not be necessary that -/एक समन मामले में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है अथवा लाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं होगा कि -(Raj. (CJ) 2013)**

(a) State the particulars of the offence with which he is accused/(a) उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाएं, जिसका उस पर अभियोग है

(b) Be asked whether he pleads guilty/(b) पूछा जाए कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक् करता है

(c) Be asked whether he wishes to make a defence./(c) पूछा जाए कि क्या वह प्रतिरक्षा करना चाहता है

(d) Charges should be framed as per order./(d) यथारीति आरोप विरचित किया जाए

**29) Which of the following actions taken by a magistrate is against the provisions of law?/किसी दण्डाधिकारी द्वारा की गई निम्न कार्यवाहियों में से कौन सी कार्यवाही विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है?(M.P. (CJ) 1986)**

(a) He dismissed the case due to the absence of the plaintiff in a warrant case/(a) उसने एक वारण्ट प्रकरण में अभियोगी की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण निरस्त कर दिया

(b) He acquitted the accused in a summons case due to the absence of the accused/(b) उसने एक समन प्रकरण में अभियोगी की अनुपस्थिति के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया

(c) In a warrant case, even after the accused confessed to the crime, he did not punish him immediately and continued the proceedings in the case./(c) उसने एक वारण्ट प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने पर भी तुरंत दण्डित नहीं किया तथा प्रकरण में कार्यवाही जारी रखी

(d) He continued the proceedings even after the accused confessed to the crime in a summons case./(d) उसने एक समन प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करने पर भी आगे कार्यवाही जारी रखी।

**30)The first stage of the process of trial of summon cases by the Magistrate will be-/मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होगा-(M.P. A.P.O. 1997)**

(a) The trial should be conducted by the public prosecution./(a) विचारण का संचालन लोक अभियोजन द्वारा किया जाना

(b) Compliance with Section 207 of Crpc/(b) दं.प्र.सं. की धारा 207 का अनुपालन

(c) plea of guilty/(c) दोषी होने के अभिवचन

(d) To state the summary of the indictment/(d) अभियोग का सारांश बताया जाना

**31) Under which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, the courts have been given the power to convert summons cases into warrant cases?/समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत?(Uttarakhand (CJ) 2019)**

(a) In section 302/(a) धारा 302 में

- (b) In section 259/(b) धारा 259 में
- (c) In section 301/(c) धारा 301 में
- (d) In section 322/(d) धारा 322 में

**32) In the interests of justice the Magistrate has the power to try a summons case like a warrant case, in which the offence for which the case is being tried, is**

**punishable:** /न्यायहित में मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि यह समन मामले का विचारण वारण्ट मामले की तरह कर सकता है, जिसमें उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा है यह दण्डनीय है: (Uttarakhand A.P.O. 2016 M.P.H.J.S. 2016 Raj. A.P.O. 2015 U.P. A.P.O. 2005, 2011, 2007)

- (a) By imprisonment of more than 6 months/(a) 6 माह से अधिक के कारावास से
- (b) By imprisonment of more than 4 months/(b) 4 माह से अधिक के कारावास से
- (c) imprisonment for more than one year/(c) एक वर्ष से अधिक के कारावास से
- (d) None of the above/(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**33). Which of the following offences is triable summarily?/ निम्नलिखित में से कौन-सा अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय है?(Uttarakhand A.P.O. 2010)**

- (a) Wrongful restraint/(a) सदोष अवरोध
- (b) Abduction/(b) अपहरण
- (c) Mischief/(c) रिष्टी
- (d) Offences which are not punishable with death penalty, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding two years./ (d) वे अपराध जो मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास अथवा दो वर्ष की अवधि से अधिक के कारावास से दण्डनीय नहीं हैं।

**34) For which of the following crimes, summary trial cannot be conducted?/निम्नांकित में किस अपराध के लिए संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है?(M.P. A.P.O. 2008)**

- (a) Offence punishable with imprisonment up to three years/(a) तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराध
- (b) Offences under sections 454 and 456 of the Indian Penal Code/(b) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454 और 456 के अधीन अपराध
- (c) Theft under sections 379, 380 and 381 of the Indian Penal Code, where the value of the stolen property does not exceed two hundred rupees./ (c) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 380 तथा 381 के अधीन चोरी, जहां चुराई हुई सम्पत्ति का मूल्य दो सौ रुपयों से अधिक नहीं है
- (d) Abetment of any of the foregoing offences./ (d) पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण

**35) Which of the following courts can conduct summary trial of the crimes mentioned in Section 260 of the Code of Criminal Procedure?/दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में**



उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन कर सकता है?(M.P.A.P.O. 2009)

- (a) Any Chief Judicial Magistrate/(a) कोई मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
- (b) Any metropolitan magistrate/(b) कोई मेट्रोपोलिटन दण्डाधिकारी
- (c) Any magistrate of the first class who has been authorized by the High Court/(c) प्रथम श्रेणी का कोई दण्डाधिकारी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत किया गया है
- (d) All of the above/(d) उपरोक्त सभी

**36) Who among the following does not have the power of summary trial?/निम्न में से किसे संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति नहीं है?(Raj. A.P.O. 2015)**

- (a) Chief Judicial Magistrate/(a) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
- (b) Metropolitan Magistrate/(b) महानगर मजिस्ट्रेट
- (c) Magistrate appointed by the High Court/(c) उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट
- (d) Magistrate of the second class/(d) द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट

**37) Which of the following statements is correct regarding**

**cross-examination?/26) प्रति-परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?**

- (a) Witnesses giving evidence of character can be cross-examined/(a) चरित्र का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रति परीक्षा की जा सकती है
- (b) Leading questions cannot be asked in cross-examination/(b) प्रति-परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं
- (c) A person called to produce any document may be cross-examined/(c) किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रति परीक्षा की जा सकती है
- (d) A witness cannot be cross-examined regarding written statements previously made by him./ (d) किसी साक्षी की उसके द्वारा पूर्ववत् किए गए लिखित कथनों के बारे में प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है

**38) Which of the following sections of the Indian Evidence Act contains provisions relating to cross-examination and re-examination of a witness giving evidence of**

**character?/27) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी के प्रतिपरीक्षण और पुनःपरीक्षण से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट हैं?**

- (a) Section 140/(a) धारा 140
- (b) Section 141/(b) धारा 141
- (c) Section 142/(c) धारा 142
- (d) Section 139/(d) धारा 139

**39)What types of leading questions can be asked in the examination-in-chief with the permission of the court?/28)**न्यायालय की अनुमति से किस प्रकार के सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षण में पूछे जा सकते हैं?

- (a) Only introductory/(a) केवल परिचयात्मक
- (b) Only disputed/(b) केवल विवादित
- (c) Only those which have been sufficiently proven in the past/(c) केवल जो पर्याप्त रूप से पूर्व में ही प्रमाणित हो गए हैं
- (d) Introductory and which have already been sufficiently proven/(d) परिचयात्मक एवं जो पर्याप्त रूप से पूर्व में ही प्रमाणित हो गए हैं

**40). A question that suggests an answer that the person asking wants or hopes to get, is called?/29).** कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, कहा जाता है-

- (a) Rude question/(a) अशिष्ट प्रश्न
- (b) Scandalous question/(b) कलंकात्मक प्रश्न
- (c) Question intended to irritate/(c) क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न
- (d) Leading question/(d) सूचक प्रश्न

**41)In which section of the Indian Evidence Act, 1872 is the leading question defined?/30)**भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत सूचक प्रश्न को किस धारा में परिभाषित किया गया है?

- (a) Section 141/(a)धारा 141
- (b) Section 142/(b) धारा 142
- (c) Section 143/(c) धारा 143
- (d) Section 145/(d) धारा 145

**42) In which of the following circumstances, leading questions can be asked with the permission of the court during the chief examination?/31)**निम्न में से कौन-सी परिस्थिति में मुख्य परीक्षण के दौरान न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं?

- (a) About things that are disputed or not reestablished/(a) उन बातों के बारे में जो विवादित हैं या पुनः स्थापना के रूप में नहीं हैं
- (b) When the matter in question is sufficiently proved/(b) जब प्रश्नगत बात पर्याप्त रूप से साबित है
- (c) In both the above circumstances/(c) उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में
- (d) Not in any of the above circumstances/(d) उपरोक्त में से किसी परिस्थिति में नहीं

**43) Under the Indian Evidence Act, 1872, leading questions can generally be asked-/32)** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन सूचक प्रश्न सामान्यतया पूछे जा सकते हैं-

- (a) In cross-examination/(a) प्रति-परीक्षा में
- (b) In the chief examination/(b) मुख्य परीक्षा में
- (c) In re-examination/(c) पुनः परीक्षा में
- (d) None of the above/(d) उपर्युक्त किसी में नहीं

**44) When can the prosecution be allowed to ask leading questions to its witness?/33) अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है?**

- (a) In the chief examination/(a) मुख्य परीक्षण में
- (b) When the witness is declared hostile/(b) जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाए
- (c) in re-examination/(c) पुनःपरीक्षण में
- (d) not under any circumstances/(d) किसी भी परिस्थिति में नहीं

**45) According to which section of the Indian Evidence Act, 1872, oral evidence regarding matters recorded in writing can be given during the examination of witnesses?/34) लेखबद्ध विषयों के बारे में मौखिक साक्ष्य, साक्षियों की परीक्षा के दौरान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा के अनुसार दिया जा सकेगा?**

- (a) Section 65 clause. According to/(a) धारा 65 क्लॉज । के अनुसार
- (b) According to Section 114 illustrations (g) and (h)/(b) धारा 114 दृष्टांत (जी) व (एच) के अनुसार
- (c) According to section 66./ (c) धारा 66 के अनुसार
- (d) According to section 144/(d) धारा 144 के अनुसार

**46) Under Section 145 of the Evidence Act a witness may be cross examined as to previous statements in writing?/35) साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत एक गवाह से लिखित रूप में पिछले बयान के बारे में जिरह की जा सकती है?**

- (a) After proving the same and showing the same to the witness./ (a) उसे साबित करके गवाह को दिखाना।
- (b) Without proving the same but only after showing the same to the witness./ (b) इसे साबित किए बिना बल्कि गवाह को दिखाने के बाद ही।
- (c) After proving the same and reading the same to the witness./ (c) इसे साबित करने और गवाह को पढ़कर सुनाने के बाद।
- (d) Without proving the same and without showing the same to the witness./ (d) इसे साबित किए बिना और गवाह को दिखाए बिना।

**47) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 को अधिनियमित किया गया है? | Negotiable Instruments Act, 1881 enacted?**

- (a) 2 दिसम्बर, 1881/ December 2, 1881
- (b) 7 दिसम्बर, 1881/ December 7, 1881

- (c) 9 दिसम्बर, 1881/ December 9, 1881
- (d) 11 दिसम्बर, 1881/ December 11, 1881

**48) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत कौन सा परक्राम्य लिखत नहीं है? / Under the Negotiable Instrument Act, 1881 which is not a negotiable instrument?**

- (a) बंधपत्र / Bond
- (b) वचन पत्र / Promissory note
- (c) विनिमय पत्र / Bill of exchange
- (d) चेक / cheque

**49) परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत, भारत में लिखित या रचित और भारत में देय या भारत में निवासरत व्यक्ति पर लिखित वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक समझा जाएगा। / Under section 11 of the Negotiable Instruments Act, a promissory note, bill of exchange or cheque drawn or made in India, and made payable in, or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an**

- (a) अंतर्देशीय लिखत / Inland instrument
- (b) विदेशी लिखत / foreign instrument
- (c) परक्रामित लिखत / Negotiated instrument
- (d) पृष्ठांकन / Indorsement

**50) परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकन कौन कर सकता है? Who may indorse the negotiable instrument under the Negotiable Instrument Act?**

- (a) एकल रचयिता / sole maker
- (b) लेखीवाल / drawer
- (c) पाने वाला / payee
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above

**51) परक्राम्य लिखत का हर पूर्विक पक्षकार सम्यक-अनुक्रम के प्रति तब तक उसके आधार पर दायी है जब तक उस लिखत की सम्यक रूप से तृष्टि न की जाए। / Every prior party to a negotiable instrument is liable thereon to a Holder in due course until the instrument is duly satisfied.**

- (a) धारक / holder
- (b) बैंक / bank
- (c) पृष्ठांकक / endorser
- (d) न्यायालय / court

**52) परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143 के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में, मजिस्ट्रेट के लिए ऐसे कारावास का, जिसकी अवधि से अधिक नहीं होगी और ऐसे जुर्माने का जिसकी रकम रुपए से अधिक होगी, दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा: / In the case of any conviction in a summary trial under section 143 of the Negotiable Instrument Act, it shall be lawful for the Magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding exceeding and an amount of fine**

- (a) एक वर्ष, पांच हजार / one year, five thousand
- (b) दो वर्ष, दस हजार / two years, ten thousand
- (c) तीन वर्ष, पच्चीस हजार / three years, twenty-five thousand
- (d) पांच वर्ष, पचास हजार / five years, fifty thousand

**53) धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही में किस प्रतिरक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी? / Proceedings under section 138 negotiable instrument act which defence shall not be allowed?**

- (a) चैक लेखीवाल द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है / the cheque is not signed by drawer
- (b) परिवादी नियत समय में धारक या सम्यक अनुक्रम में धारक नहीं है / Complainant is not holder or holder in due course
- (c) लेखीवाल के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि जब उसने चैक जारी किया तो यह अनादरित हो सकता है / Drawer had no reason to believe when he issued the cheque it may be dishonored
- (d) उन्होंने विधिक दायित्व के निर्वहन में चैक जारी नहीं किया था / He had not issued the cheque in discharge of legal liability

**54) परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही के विरुद्ध क्या प्रतिरक्षा उपलब्ध हैं? / What are the defences available against proceedings under section 138 of the Negotiable Instrument Act?**

- (a) विधिक प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व का अभाव / Absence of a legal enforceable debt or liability
- (b) 15 दिन के विधिक नोटिस का अभाव / Absence of legal notice of 15 days
- (c) क्षेत्राधिकार का अभाव / Lack of jurisdiction
- (d) उपरोक्त सभी / all of the above

**55) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद दायर करने में हुई देरी को क्षम्य किया जा सकता है / The delay in filing a complaint under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 can be condoned-**

- (a) भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत / Under Section 5 of the Indian Limitation Act, 1963
- (b) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 के अंतर्गत / under Section 141 of the Negotiable Instruments Act, 1881

(c) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 142 के अंतर्गत / under Section 142 of the Negotiable Instruments Act, 1881

(d) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143 के अंतर्गत / under Section 143 of the Negotiable Instruments Act 1881

**56) परक्राम्य लिखत अधिनियम की कौन सी धारा चैक अनादरण के बारे में प्रावधान करती है- / Which section of the Negotiable Instruments Act provides for dishonour of cheque-**

(a) धारा 149/ Section 149

(b) धारा 138/ Section 138

(c) धारा 150/ Section 150

(d) धारा 152/ Section 152

**57) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत अपने बैंक से चैक के अनादरण की सूचना प्राप्त होने पर चैक को पाने वाले के द्वारा लेखीवाल को लिखत में एक माँग की नोटिस किस अवधि के अन्दर दी जानी होती है - / Under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, on receipt of a notice of dishonour of a cheque from his bank, a notice of demand in writing has to be given by the payee of the cheque to the drawer within which period -**

(a) 15 दिन/15 days

(b) 30 दिन/30 days

(c) 60 दिन/60 days

(d) उपरोक्त में कोई नहीं/ None of the above

**58) परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा परन्तुक खण्ड चैक के भुगतान में विफलता की स्थिति में 15 दिनों की नोटिस दिए जाने की माँग करता है? / Which one of the following proviso clauses under section 138 of the Negotiable Instruments Act seeks to give 15 days notice in case of failure to pay the cheque?**

(a) खण्ड-क/ Clause - A

(b) खण्ड ख/ Clause - B

(c) खण्ड - ग/ Clause - C

(d) खण्ड घ/ Clause - D

**59) परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, के द्वारा दिए जा सकने वाले अधिकतम अर्थदण्ड की राशि क्या होती है- / What is the maximum amount of fine that can be imposed by a Judicial Magistrate, under section 138 of the Negotiable Instruments Act-**

(a) चैक की राशि की दोगुनी राशि / double the amount of the cheque

(b) बीस हजार / twenty thousand

- (c) एक लाख / one lakh
- (d) दस हजार / ten thousand

**60)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की निम्नलिखित धाराओं में से कौनसी उपधारणा धारक के पक्ष से संबंधित है / Which of the following sections of the Negotiable Instruments Act, 1881 deals with presumption in favour of a holder?**

- (a) धारा 143 / Section 143
- (b) धारा 144 / Section 144
- (c) धारा 139 / Section 139
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above

**61)चैक जारी करते समय लेखीवाल को यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि प्रस्तुत किये जाने पर चैक धारा-138 में वर्णित कारणों के आधार पर अनावृत हो जाएगा। धारा-138 के अंतर्गत अपराध के अभियोजन में / In a prosecution for an offence under Section 138 that the drawer had no reason to believe when he issued the cheque that the cheque may be dishonoured on presentation for the reasons stated in section 138-**

- (a) सही प्रतिवाद होगा / it shall be right defence
- (b) प्रतिवाद नहीं होगा / it shall not be a defence
- (c) परिस्थितिजन्य प्रतिवाद होगा / will be circumstantial defence
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / neither of the above

**62)परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 का सम्बन्ध निम्नलिखित में से किसके द्वारा कारित अपराधों से है / Section 141 of the Negotiable Instruments Act deals with offences committed by which of the following -**

- (a) सरकारी कर्मचारियों / Government servants
- (b) व्यक्ति एवं कम्पनियाँ दोनों / both individuals and companies.
- (c) केवल व्यक्ति / Individuals only
- (d) कंपनियाँ / Companies

**63)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 के प्रयोजनार्थ 'कंपनी' का अर्थ है- / For the purposes of section 141 of the Negotiable Instruments Act, 1881, "company" means-**

- (a) कोई भी निगमित निकाय / any body corporate
- (b) एक फर्म / a firm
- (c) व्यक्तियों के अन्य संगम / other associations of individual
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above

**64) परिवीक्षाधीन अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर मुक्त करने से पूर्व न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करना है- / The consideration of the report of Probation Officer by the court before releasing the offender on probation of good conduct is-**

- (a) विवेकाधीन / Discretionary
- (b) परिहार्य / Avoidable
- (c) आज्ञापक/Mandatory
- (d) मनमाना / Arbitrary

**65)क्या किसी अपराधी को न्यायालय द्वारा परिवीक्षा पर रिहा करना दोषमुक्त करने क दायरे में आता है?/Whether releasing of an offender on probation by a court comes within the ambit of acquittal?**

- (a) हां/Yes
- (b) नहीं/No
- (c) मामले के तथ्यों पर निर्भर / Dependent upon the facts of the case
- (d) अपराधी के चरित्र पर निर्भर करता है/ Dependent upon the character of the offender

**66)अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अधीन अपराधी कारावास पर निबंधन अधिरोपित करता है, यदि उसकी आयु है- / An offender under the Probation of Offenders Act shall not be punished with imprisonment, if his age is ?**

- (a) 16 वर्ष से कम / less than 16 years
- (b) 18 वर्ष से कम / less than 18 years
- (c) 21 वर्ष से कम / less than 21 years
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं / none of the above

**67)परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को किस धारा के अन्तर्गत गोपनीय माना जाता है? / Under which section the report of the Probation Officer is considered to be confidential?**

- (a) धारा 8/ Section 8
- (b) धारा 9/ Section 9
- (c) धारा 7/ Section 7
- (d) धारा 10/ Section 10

**68)न्यायालय परिवीक्षाधीन अपराधी को दण्डित कर सकेगा / The court may punish an offender on probation-**

- (a) जब प्रतिभु शर्तों में फेरफार से असहमत हो जाता है / When the surety disagrees with the variation in terms



(b) अपराधी नया बन्धपत्र निष्पादित करने से इंकार कर देता है / The offender refuses to execute a fresh bond

(c) उपर्युक्त A और B दोनों / Both A and B above

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above

**69) बन्धपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर न्यायालय अपराधी को/ On contravention of the terms of the bond, the court shall punish the offender-**

(a) उसे मूल अपराध के लिए दण्डित कर सकेगा / sentence him for the original offence

(b) जहाँ असफलता प्रथम बार होती है वहाँ बन्धपत्र के प्रवृत्त रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 50 रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा / Where the failure is for the first time, then without prejudice to the continuance in force of the bond, impose upon him penalty not exceeding fifty rupees

(c) उपर्युक्त A और B दोनों / Both A and B above

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं/ none of the above

**70) यदि न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अपराधी उसके द्वारा दिए गए बंधपत्र या बंधपत्र की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहा है, तो वह / If the court has reason to believe that the offender has failed to observe any of the condition of the bond or bonds entered into by him, it may-**

(a) उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकेगा/call for the offender through the warrant of arrest

(b) उसके प्रतिभूओं के नाम समन निकाल सकेगा/call for the sureties of the offender through the summons

(c) जब अपराधी लाया जाता है या पेश होता है, तो न्यायालय उसे या तो अभिरक्षा में भेज सकती है या उसे जमानत दे सकती है / when the offender is brought or appears, the court may either remand him in custody or grant him bail

(d) उपरोक्त सभी/All of the above



## Answer key

- 1-c
- 2-d
- 3-d
- 4-d
- 5-b
- 6-d
- 7-a
- 8-b
- 9-d
- 10-b
- 11-b
- 12-c
- 13-b
- 14-b
- 15-c
- 16-a
- 17-a
- 18-b
- 19-c
- 20-d
- 21-c
- 22-c
- 23-c
- 24-c
- 25-d
- 26-a
- 27-b
- 28-d
- 29-a
- 30-d
- 31-b
- 32-a
- 33-d
- 34-a
- 35-d
- 36-d
- 37-a
- 38-a



39-d  
40-d  
41-a  
42-b  
43-a  
44-b  
45-d  
46-d  
47-c  
48-a  
49-a  
50-d  
51-a  
52-a  
53-c  
54-d  
55-c  
56-b  
57-b  
58-c  
59-a  
60-c  
61-b  
62-d  
63-d  
64-c  
65-b  
66-c  
67-c  
68-c  
69-c  
70-d



